न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास– श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

(राजस्व)वाद संख्या 86/2018

अनवान

निर्मला पत्नि रतनाराम जाति मेघवाल निवासी चानी तहसील कोलायत जिला बीकानेर

वादीनी

बनाम

01. भंवरी
02. हेमी } पिसरान कानाराम जाति नायक निवासी चानी तहसील
03. हस्तु } कोलायत जिला बीकानेर
04. सन्तोष देवी पत्नि स्व. सुरजाराम
05. रामदयाल
06. हीराराम } पिसरान सुरजाराम जाति नायक निवासी चानी
07. श्रवण राम } तहसील कोलायत जिला बीकानेर
08. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगणः–

01. श्री हनुमान गिरि वकील वादीनी
02. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सुचना अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही
03. पैरोकार राज,कोलायत

निर्णय दिनांक

वादीनी द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम चानी तहसील कोलायत के खसरा नं. 413 रकबा 6.32 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम संयुक्त खाता में है। जिसमें वादीनी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का 1/4 हिस्सा है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

जो दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त भूमि पर वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 का संयुक्त कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 की माता व प्रतिवादी सं. 4 की सास व प्रतिवादी सं. 5 से 7 की दादी जड़ाव के नाम रिकॉर्ड में भूमि दर्ज है परन्तु जड़ाव फौत हो चुकी है। इसलिए उनका हिस्सा प्रतिवादीगणों के हिस्से में जुड़ गया है। जिस पर सभी सहहिस्सेदारों का बाहमी बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वकील वादीनी ने निवेदन किया है कि खाता बड़ा होने के कारण विवादित भूमि को काश्त करने को लेकर सहकाश्तकारों के बीच मनमुटाव होने लगा व के.सी.सी बनवाने मे परेशानी रहती है । इसलिए अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन बाई मीट्स एंड बाउण्ड अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी करवाना चाहती है। दिनांक 20.07.2018 को वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 से 7 को खाता विभाजन करवाने का कहा तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये। जिससे वादीनी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण हासिल हुआ है व तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिससे कोई रिलीफ नहीं लेनी है। इस प्रकार उक्त दावा वादीनी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पेशकर खाता तकसीम कर अलग से लगान कायम करने का अनुतोष चाहा गया है।

सर्वप्रथम वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया गया जो बावजुद सुचना 3 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादीनी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का 1/4 हिस्सा रिकॉर्डेड बनता है। मुताबिक वादपत्र व प्रतिवादी सं. 1 से 7 की एकपक्षीय कार्यवाही अनुसार वादपत्र स्वीकार कर बाई मीट्स एंड बाउण्ड खाताविभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने का अनुतोष चाहा हमने उभयपक्ष के द्वारा पेश किए गये वादपत्र एवं समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया जिस में वादगत भूमि वादीनी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। तथा प्रत्येक खातेदार को अपना खाता तकसीम करवाने का उपचार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 में उपलब्ध है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

ताकि एक खातेदार अपना अलग से खाता विभाजन करवा कर अपनी भूमि का बहतर सुधार कर सकता है। वित्तीय संसाधन जुटा कर अधिक उपजाऊ बना सकता है व अलग से लगान कायमी होने से अपना लगान समय समय पर जमा करवा सकता है। जबकि संयुक्त खातेदार होने पर इन कार्यों पर अक्सर सहमति नहीं बन पाती उक्त प्रकरण में वादीनी व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त लम्ब अरसे से बाहमी विभाजन अनुसार बताया है।

अतः वादिनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। और प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाता है कि वादीनी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 से 7 का 1/4 हिस्सा का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम कर अलग से खाते एवं लगान कायम करते हुवे उनकी भूमि नजरिये नक्शे में अलग अलग रंगो में दर्शित करते हुवे इस आशय के प्रस्ताव तैयार कर 15 योम में इस न्यायलय में भिजवावें ताकि पक्षकारान को अन्तिम डिक्री विभाजन बाबत मंजूर की जा सके।

निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें निर्णय व प्राथमिक डिक्री की एक प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2019.12.09 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: